

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4190
उत्तर देने की तारीख-01/04/2026

शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति

4190 डा. वी. शिवादासन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत शिक्षण और शिक्षकेतर पदों, साथ ही वर्तमान रिक्त पदों की विश्वविद्यालय-वार कुल संख्या क्या है;
- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित श्रेणियों के लिए इन रिक्तियों का श्रेणी-वार विश्लेषण क्या है;
- (ग) इन विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए रिक्त आरक्षित पदों की संख्या क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इन रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सी एचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/कानूनों/अध्यादेशों/विनियमों आदि के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। इन पदों पर भर्ती का प्राधिकार संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित है।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थान, योजनाएं या परियोजनाएं खोलने और छात्रों की बढ़ती संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने सीएचईआई में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम के अनुसरण में जारी अधिसूचना दिनांक 12.07.2019 के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया गया है।

अगस्त, 2021 में शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में मिशन मोड में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। सितंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए भी प्रेरित किया गया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से पुनः मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी केंद्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 24.01.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 17878 संकाय पदों (2216 एससी, 872 एसटी, 3778 ओबीसी, 549 ईडब्ल्यूएस) सहित सभी केंद्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा कुल 30720 पद (3692 एससी, 1561 एसटी, 6451 ओबीसी, 1154 ईडब्ल्यूएस) भरे गए हैं।
